Under-Utilisation of External Aid for Power Projects

2125. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there has been under-utilisation of aid in the externally assisted projects in the power sector;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the details of utilisation of aid in the externally assisted ongoing power projects *vis-a-vis* approvals and disbursements;

(d) the estimated loss in power generation due to delayed completion of projects as a result of under-utilisation of such aids;

(e) the relative economics of full utilisation of external aids and of setting up of new power plants to meet the shortfalls in power generation due to under-utilisation of external aids; and

(f) whether any responsibilities been fixed for under-utilation of external aid in the power sector, if so, the action taken against the concerned officials and if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (c) External assistance is usually availed of as per the progress of the project. An amount of Rs. 3250.32 crores of external aid was utilised in various power releated projects during the financial year 1993-94.

(d) to (f) Under-utilisation of external aid by itself has not been the primary factor for delaying the construction of any power project. However, delay in implementation is attributable inter-alia to inadequate availability of counter part funds delays in the procurement of equipment, land acquisition, obtaining of environmental and forest clearances, implementation of rehabilitation plans, law and order problems etc.

रायगढ़, मध्य प्रदेश में ताप विद्युत संयंत्र

2126. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 से 1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए लम्बित औपचारिकताएं जिन्हें पूरा किया जाना है तथा आपत्तियां जिन्हें दूर किया जाना है, का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस अवधि के दौरान दूर की गई आपत्तियों और पूरी की गई औपचारिकताओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव कब से विचाराधीन है और इससे मध्य प्रदेश के अलावा किन-किन राज्यों को बिजली की आपूर्ति करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) उस राज्य में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए इस संयंत्र को यथाशीघ्र स्थापित करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैय्या नायडू) : (क) से (घ) मार्च, 1992 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए) को जिला रायगढ़ में 2182 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक ताप विद्युत केन्द्र (2×500 मेगावाट) अधिष्ठापित करने के लिए मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा सम्भाव्यता रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। वर्ष 1991-92 से 1994-95 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड निम्नलिखित निवेश/स्वीकृतियां सुनिश्चित करने में समर्थ रहा :—

(1) राज्य वन्य स्वीकृति।

(2) राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण से स्वीकृति।

(3) विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 29 का अनुपालन।

(4) प्रथम चरण की पर्यावरणीय स्वीकृति।

(5) पर्यावरण स्वीकृति (राज्य)

2. स्वीकृतियां/निवेश जो सुनिश्चित नहीं किए जा सकें, उनमें कोयला लिंकेज, सम्बद्ध पारेषण प्रणाली, जल उपलब्धता के संबंध में राज्य सिंचाई प्राधिकरणों और केन्द्रीय जल आयोग की पुष्टि, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय दृष्टि से प्रस्ताव की स्वीकृति शामिल है।

मूल प्रस्ताव में परिकल्पना की गई थी कि पूरा होने पर यह परियोजना मध्य प्रदेश के साथ-साथ गुजरात राज्य को भी विद्युत आपूर्ति करेगी।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मेसर्स जिन्दल स्ट्रिप्स लिमिटेड के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पूरी होने पर यह परियोजना केवल मध्य प्रदेश राज्य को विद्युत की आपूर्ति करेगी तथापि, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को इस स्कीम के तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए निजी क्षेत्र में इसके अधिष्ठापन की परिकल्पना करते हुए परियोजना सम्भाव्यता रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।